संख्या-183/2024/1011/41-2024-30 (सा0)/2024

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 **लखनऊ, दिनांक 14 जून, 2024**

विषयः-जनपद मथुरा के अन्तर्गत तहसील-सदर मथुरा के ग्राम जचौंदा में जनसुविधाओं/ पड़ाव एवं शिल्पग्राम की स्थापना हेतु ग्राम समाज की भूमि को पर्यटन विभाग के निवर्तन पर निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या-9647/6-1-1/ब्र0ती0वि0प0/(208) /2023 दिनांक 06.03.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद मथुरा के अन्तर्गत तहसील-सदर मथुरा के ग्राम जचौंदा में जनसुविधाओं/पड़ाव एवं शिल्पग्राम की स्थापना हेतु ग्राम समाज की भूमि को पर्यटन विभाग के निवर्तन पर निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- ब्रज क्षेत्र में भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं में मथुरा एवं गोवर्धन का विशेष महत्व है। गोवर्धन में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देश-विदेश से पर्यटक एवं परिक्रमार्थी आते हैं तथा इस संख्या में वर्षवार निरन्तर वृद्धि हो रही है, लेकिन तीर्थयात्रियों के लिए गोवर्धन एवं मथुरा के बीच में कोई जनसुविधा एवं पड़ाव स्थल आदि नहीं है।

मथुरा-गोवर्धन मार्ग पर जनपद मथुरा तहसील सदर स्थित ग्राम जचौंदा में ग्राम समाज की लगभग 6.859 हेक्टेयर भूमि रिक्त पड़ी हुई है। इस भूमि पर तीर्थयात्रियों के लिए जनसुविधा, एक आदर्श पड़ाव/विश्राम स्थल एवं शिल्पग्राम के रूप में एक बहुउपयोगी सुविधा केन्द्र विकसित हो सकता है। यहॉ पर ब्रज की स्थानीय प्रजातियों के वृक्षों का रोपण कराकर आकर्षक वाटिका भी बनायी जा सकती हैं।

3- ग्राम जचौंदा के खाता संख्या 446 के खसरा संख्या 391 रकवा 0.9590 हेक्टे0 व खसरा संख्या-402मि0 रकवा 1.3160 हेक्टे0 कुल 02 किता रकवा 2.2750 हेक्टे0 श्रेणी 6(4) दर्ज कागजात ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा पड़ाव है।

खाता संख्या 429 के खसरा संख्या 856 रकवा 0.2750 हेक्टे0, खसरा संख्या 857 रकवा 0.2390 हेक्टे0, खसरा संख्या 858 रकवा 0.2100 हेक्टे0, खसरा संख्या 859 रकवा 0.2830 व खसरा संख्या 860 रकवा 0.1170 हेक्टे0 कुल 05 किता रकवा 1.1240 हेक्टे0 श्रेणी 5-3 (ख) दर्ज कागजात झाड़ियॉ हैं।

खाता संख्या 442 के खसरा संख्या 390मि0 रकवा 1.9230 हेक्टे0 श्रेणी- 6-4 ऊसर दर्ज कागजात है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

खाता संख्या 432 के खसरा संख्या 393 रकवा 0.1860 हेक्टे0 व खसरा संख्या 394 रकवा 0.1980 हेक्टे0 व खसरा संख्या 396 रकवा 0.2590 हेक्टे0 व खसरा संख्या 400 रकवा 0.0890 हेक्टे0 व खसरा संख्या 401 रकवा 0.1050 हेक्टे0 व खसरा संख्या 405 रकवा 0.1940 हेक्टे0 व खसरा संख्या 490मि0 रकवा 0.2480 हेक्टे0 तथा खसरा संख्या 830 रकवा 0.2100 हेक्टे0 में से रकवा 0.1290 हेक्टे0 व खसरा संख्या 831 रकवा 0.0890 हेक्टे0 व खसरा संख्या 832 रकवा 0.0400 हेक्टे0 कुल 10 किता रकवा 1.5370 हेक्टे0 श्रेणी- 5-3(ड) दर्ज कागजात बंजर है।

उपरोक्त कुल किता 18 रकवा 6.8590 हेक्टे0 भूमि मौके पर रिक्त है तथा किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है। निष्प्रयोज्य पड़े रहने की स्थिति में उक्त भूमि पर अवैध अतिक्रमण होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

4- उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद की मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 24.06.2023 को सम्पन्न छठवीं बोर्ड बैठक में अन्य परियोजनाओं के साथ प्रश्नगत परियोजना तैयार किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

5- ग्राम समाज/सार्वजनिक उपयोग की भूमि के पुनर्ग्रहण/विनिमय हेतु शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(2)/2016, दिनांक 03.06.2016 के प्रस्तर-4(1)(ग) में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकार के सेवारत विभागों, नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय को भूमि निःशुल्क एवं सर्वाधिकार सहित दी जायेगी। उल्लेखनीय है कि पर्यटन विभाग सेवारत विभाग नहीं है। अतः इसके दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण में आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा के पत्र संख्या- 988/आठ-2/एल0बीए-पुनर्ग्रहण(मथुरा)/2023-24, दिनांक 24.01.2024 द्वारा राजस्व ग्राम जचौंदा के उपरोक्त सभी गाटा संख्या 18 कुल रकवा 6.8590 हेक्टे0 भूमि की बाजार दर एवं जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार रू0 6,38,36,000.00 का चार गुना 25,53,44,000.00 रू0 तथा मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूंजीकृत मूल्य रू0 7,623.75 कुल मूल्य रू0 25,53,51,623.75 (रू0 पच्चीस करोड़ तिरेपन लाख इक्यावन हजार छः सौ तेइस रूपये पिचहत्तर पैसे मात्र) अर्थात् पूर्णांक में रू0 25,53,51,624/- (रूपये पच्चीस करोड़ तिरपन लाख इक्यावन हजार छः सौ चौबीस मात्र) उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा जमा किये जाने हेतु निर्धारित किया गया है।

6- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मथुरा के अन्तर्गत तहसील-सदर मथुरा के ग्राम जचौंदा में जनसुविधाओं/पड़ाव एवं शिल्पग्राम की स्थापना हेतु ग्राम समाज की भूमि को पर्यटन विभाग के निवर्तन पर निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में मा0 मंत्रि-परिषद् द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये है:-

(क) जनपद मथुरा के अन्तर्गत तहसील-सदर मथुरा स्थित ग्राम जचौंदा में प्रस्तावित कुल 18 किता क्षेत्रफल 6.8590 हेक्टे0 को जन-सुविधाओं/पड़ाव एवं शिल्पग्राम की स्थापना हेतु ग्राम समाज की भूमि को पर्यटन विभाग के निवर्तन पर निःशुल्क हस्तान्तरित किया जायेगा।

(ख) प्रकरण में आवश्यकतानुसार अग्रतर निर्णय लिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

7- प्रश्नगत प्रायोजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित शर्त एवं प्रतिबन्ध का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा:-

(1) प्रकरण के सम्बन्ध में भूमि के स्वामित्व के बिन्दु के दृष्टिगत पर्यटन निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि प्रस्तावित भूमि जिस प्रयोजन हेतु निःशुल्क हस्तांतरित की जानी है उस हेतु सक्षम संस्था द्वारा निर्धारित मानक से अधिक नहीं हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(2) प्रश्नगत भूमि निर्विवाद हो तथा उस पर कोई धार्मिक या ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

(3) प्रस्तावित भूमि जिसका हस्तान्तरण किया जाना है यदि वह प्रस्तावित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग में लायी जायेगी तो उसके लिये पर्यटन विभाग द्वारा मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(4) यदि भविष्य में पर्यटन विभाग को उक्त भूमि की आवश्यकता नहीं रहती है अथवा तीन वर्षों तक उक्त नि:शुल्क हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि प्रस्तावित कार्य के लिये उपयोग में नहीं लायी जाती है, तो पर्यटन विभाग द्वारा प्रश्नगत भूमि को उसके मूल विभाग को वापस की जायेगी।

(5) पर्यटन निदेशालय द्वारा इस सम्बन्ध में संगत अधिनियमों/वित्तीय नियम संग्रह/ शासनादेश आदि की व्यवस्थाओं का पालन किया जायेगा।

(6) भू-राजस्व से संबंधित अधिनियमों/नियमों/ शासनादेशों में प्रचलित विधियों एवं समय-समय पर दिये गये मा0 न्यायालयों के आदेश के अन्तर्गत यदि भविष्य में धृत भूमि की अधिकारिता/अन्तरण के सम्बन्ध में राजस्व विधि से असंगतता पायी जाती है, तो उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 यथा संशोधित अथवा अन्य सुसंगत राजस्व विधि में विहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

अतः कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 लखनऊ।
4- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
5- **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव**
वित्त विभाग/न्याय विभाग/राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- आयुक्त आगरा मण्डल आगरा।
7- जिलाधिकारी, मथुरा।
8- अनु सचिव, पर्यटन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in